उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या– 7585 /77–4–23–यू0ओ0 33/2023
लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 रूपेन्द्र सिंह, निवासी 35/618, नौबस्ता लोहामण्डी, जनपद आगरा।

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य

विपक्षीगण

पुनरीक्षणकर्ता श्री अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 रूपेन्द्र सिंह, निवासी 35/618, नौबस्ता लोहामण्डी, जनपद आगरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट (सी) संख्या–8380/2022 अभिषेक सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त रिट याचिका को मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2022 को सुनवाई करते हुए निस्तारित कर दिया गया। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2022 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

" In view of above, without expressing any opinion on the merits of the case, the petition is disposed of permitting the petitioner to avail alternative remedy available to him under the law.

Needless to state that in eventuality of filing revision along with an application seeking interim relief, the revisional authority to pass orders in accordance with law expeditiously."

2. पुनरीक्षणकर्ता श्री अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 रूपेन्द्र सिंह, निवासी 35/618, नौबस्ता लोहामण्डी, जनपद आगरा द्वारा उ0प्र0 शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 523, ब्लॉक–टी, सेक्टर 20, आवंटन संख्याः RRPS041939 के सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 14.12.2021 एवं 18.01.2022 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दिनांक 25.04.2022 शासन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

3. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.04.2022 के अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका दिनांक 25.04.2022 पर शासन स्तर पर दिनांक 06.07.2022 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तत्कालीन अपर मुख्य सचिव,

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में सुनवाई बैठक सम्पन्न हुई। उक्त सुनवाई बैठक में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजीव तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से श्री रवीन्द्र सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। तत्समय प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया जा सका। पुनः प्रकरण में दिनांक 25.09.2023, दिनांक 01.12.2023 तथा दिनांक 12.12.2023 को सुनवाई बैठक आयोजित की गई। उक्त तिथियों में प्राधिकरण के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, परन्तु पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रकरण यह है कि पुनरीक्षणकर्ता की याचिका के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा एलाटमेन्ट संख्या RRPS041939 दिनांक 13.11.2020 के माध्यम से सेक्टर–20, ब्लॉक–टी में पुनरीक्षणकर्ता को भूखण्ड संख्या–523 क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर आंवटित किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिये उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त के अतिरिक्त पुनरीक्षणकर्ता की ओर से रिस्टोरेशन सम्बन्धी ब्रोशर की शर्त संख्या–20 का उल्लेख करते हुए यह भी अवगत कराया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता के प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा ऐसे किसी प्रावधान का संज्ञान नहीं लिया गया।

5. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आख्या के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–YEIDA/RRPS/सम्पत्ति/1046/2022 दिनांक 19.05.2022 YEIDA/RRPS/ सम्पत्ति/1301/2022 दिनांक 21.06.2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्ड योजना RRPS04/2020 दिनांक 24.08.2020 को लायी गयी, जिसका ड्रा दिनांक 05.11.2020 को किया गया, जिसमें श्री अभिषेक सिंह को ड्रा के माध्यम से भूखण्ड संख्या 523, पाकेट टी, सेक्टर–20 प्राप्त हुआ, जिसका आवंटन पत्र श्री अभिषेक सिंह के पते (आवेदन फार्म में अंकित किये गये पते) पर दिनांक 13.11.2020 प्रेषित किया गया।

योजना के ब्रोशर की शर्त संख्या 08 एवं आवंटन पत्र की शर्त संख्या 06 के अनुसार आवंटी श्री अभिषेक सिंह को आवंटन धनराशि का भुगतान दिनांक 12.01.2021 तक किया जाना था। उक्त निर्धारित तिथि तक आवंटी द्वारा आवंटन धनराशि का भुगतान प्राधिकरण के पक्ष में नहीं किया गया।

उक्त योजना के ऐसे आवंटी जिनके द्वारा आवंटन धनराशि का भुगतान प्राधिकरण के पक्ष में नहीं किया गया उन सभी को (जो आवंटन धनराशि जमा कराना

चाहते हैं) को आवंटन धनराशि 11.5% वार्षिक ब्याज (जिसका आंकलन छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) के साथ जमा कराये जाने हेतु 01 माह (दिनांक 12.02.2021) तक का प्रथम समय एवं दिनांक 15.03.2021 तक का द्वितीय समय विस्तरण प्रदान किया गया था।

प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2021 की मद संख्या–15 में प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड योजना RRPS04 के आवंटियों को आवंटन धनराशि (Allotment Money) जमा कराये जाने हेतु समय विस्तरण अनुमन्य किये जाने विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसपर संचालक मंडल द्वारा आवंटन धनराशि (Allotment Money) जमा कराने हेतु योजना के ब्रोशर में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त समयवृद्धि आरोपित दण्ड ब्याज सहित दिनांक 31.08.2021 तक का अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यदि दिनांक 31.08.2021 तक आवंटियों द्वारा ब्याज सहित आवंटन धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायें, जिसकी सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21.07.2021 को दैनिक जागरण व दि टाईम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्रों में कराया गया एवं समय विस्तरण सूचना वादी को पत्र संख्या YEIDA/ RRPS / सम्पत्ति / 2966 / 2021. दिनांक 20.07.2021 के माध्यम से प्रेषित की गयी।

प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.06.2021 की मद संख्या–15 में प्राधिकरण की आवासीय योजना RRPS04 के आवंटियों को आवंटन धनराशि जमा कराये जाने विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसपर संचालक मण्डल द्वारा आवंटन धनराशि जमा करने हेतु योजना के ब्रोशर में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार अतिरिक्त समयवृद्धि आरोपित दण्ड ब्याज सहित दिनांक 31.08.2021 तक का अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। आवंटी द्वारा दिनांक 31.08.2021 तक आवंटन धनराशि का भुगतान न करने के कारण आवंटी का भूखण्ड योजना के ब्रोशर की शर्त संख्या–19 CANCELLATION की उप शर्त संख्या– (iii) के क्रम में निरस्त किया गया। निरस्तीकरण के उपरान्त आवंटी के भूखण्ड संख्या–523, पाकेट–टी, सेक्टर–20 को प्राधिकरण की नयी आवासीय योजना RPS05/2021 के माध्यम से अन्य आवंटी को आवंटित किया जा चुका है।

6. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 25.04.2022 तथा उस पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 19.05.2022 में उल्लिखित तथ्यों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आावासीय भूखण्ड योजना RRPS04/2020 के अन्तर्गत सेक्टर–20, ब्लॉक–टी में पुनरीक्षणकर्ता को आवंटित भूखण्ड संख्या–523 जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है, के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.08.2021 तक का

समय विस्तारण प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आवंटी द्वारा आवश्यक धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन भूखण्ड योजना के ब्रोशर की शर्त संख्या–19 CANCELLATION की उप शर्त संख्या–(iii) में दी गयी व्यवस्था के तहत् निरस्त किया गया है। जहाँ तक ब्रोशर की शर्त संख्या–20 RESTORATION का प्रश्न है, प्राधिकरण द्वारा आवंटी को लगभग 07 माह का अतिरिक्त समय विस्तरण प्रदान करते हुए उक्त आवंटन निरस्त किया गया है तथा निरस्तीकरण के उपरान्त उक्त भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा नयी आवासीय योजना RPS05/2021 के अन्तर्गत अन्य आवंटी को आवंटित किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता का दावा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, द्वारा रिट (सी) संख्या–8380/2022 अभिषेक सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2022 के अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता श्री अभिषेक सिंह द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका दिनांक 25.04.2021 में प्रस्तुत दावा एतद्द्वारा निरस्त करते हुए पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

संख्या–7585 (1)/77–4–23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर को एक अतिरिक्त प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित कि श्री अभिषेक सिंह को हस्तगत कराते हुए कृपया उसकी पावती शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) श्री अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 रूपेन्द्र सिंह, निवासी 35/618, नौबस्ता लोहामण्डी, जनपद आगरा।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।